कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/3508/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़,दिनांक 29 अप्रैल, 2020

प्रति,

1. अध्यक्ष, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, रायगढ़,
2. अध्यक्ष, ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन, रायगढ़,
3. अध्यक्ष, मंडी एसोसियेशन, रायगढ़,
4. अध्यक्ष, थोक विक्रेता संघ, रायगढ़,
5. अध्यक्ष, मेडिकल एसोसियेशन, रायगढ़,

विषय :- **राज्य में अन्य राज्यों से आ रहे मालवाहक यानों के ड्राईवर/हैल्पर के संबंध में तथा उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु संयुक्त निर्देश।**

−0−

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार एवं छ0ग0शासन, वाणिज्य उद्योग एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 207/स.परि./2020, नवा रायपुर दिनांक−28.04.2020 द्वारा आवश्यक वस्तुओं के साथ−साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंस रखते हुए किये जाने के लिए निर्देश दिये गये हैं। अर्न्तराज्य माल परिवहन निरंतर जारी है तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर भी आ−जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में यह संभावित है कि उक्त व्यक्तियों में से कोरोना कैरियर होने की दशा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप छत्तीसगढ़ में फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आपको निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :−

1. आप अन्य राज्यों/जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग/अनलोडिंग पाईट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन करें। ड्राईवर एवं हैल्पर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए तथा लोडिंग/अनलोडिंग पाईट पर ही रूकने हेतु कहा जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने−जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाये। पेयजल, खाने−पीने की व्यवस्थाएं उसी निश्चित स्थान लोडिंग/अनलोडिंग पाईट/गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।

2. अनलोडिंग पाईट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

3. यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग भीड़−भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़−भाड़ न हो।

4. आप ड्राईवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग कराना सुनिश्चित करें एवं सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए सभी माल वाहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये।

5. माल का परिवहन किस−किस जगह से हुआ है तथा ड्राईवर एवं हेल्फर किस−किस जगह में हाल्ट किये हैं, का स्थल चिन्हित कर, ट्रैवल हिस्ट्री संधारित करना सुनिश्चित करें।

6. माल एक ही स्थान पर ही अनलोड किया जाये। अलग-अलग स्थानों में अनलोड नहीं किया जाये।

7. माल परिवहन के दौरान ड्राईवर एवं हेल्फर यथासंभव गाड़ी से बाहर न निकलें। किसी के सम्पर्क में नहीं आयेंगे। यदि ड्राईवर एवं हेल्फर बाहर सार्वजनिक स्थलों में पाया जाता हैं तो उनके खिलाफ एवं व्यपारी/प्रतिष्ठान के विरूद्ध राजस्व आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अतिरिक्त आई.पी.सी. 1860 की धारा 188 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जावेगी।

8. माल परिवहन के दौरान यदि गाड़ी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में जिले के शहर से बाहर क्षेत्र में गाड़ी का मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

अतएव निर्देशानुसार उक्त निर्देश के पालनों का उल्लंघन होने की स्थिति में राजस्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अतिरिक्त आई.पी.सी.1860 की धारा 188 का उल्लंघन मानते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्र0/**3508A**/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 29/04/2020

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
2- सचिव, छ0ग0शासन, वाणिज्य उद्योग एवं परिवहन विभाग,
--मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3.- पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़,
5- जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़,
6- सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ, जिला,
7- आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़,
8.- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
9- मुख्य महाप्रबंधक, जिला एवं व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
10- उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Document/ Korona/JC-082

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, परिवहन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

ांक 207/स.परि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 28/04/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
2. समस्त क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी,
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़।

विषयः—राज्य में अन्य राज्यों से आ रहे मालवाहक यानों के ड्राईवर/हैल्पर के संबंध में तथा उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु संयुक्त निर्देश।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओ के साथ—साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंस रखते हुए किये जाने के लिए निर्देश दिये गये है। अर्न्तराज्य माल परिवहन निरंतर जारी है तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर भी आ—जा रहे है। इन परिस्थितियों में यह संभावित है कि उक्त व्यक्तियों में से कोरोना कैरियर होने की दशा में उनके माध्यम से कोरोना संक्रमण का प्रकोप छत्तीसगढ़ में फैल सकता है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:—

1. अन्य राज्यों/जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाये। ड्राईवर एवं हैल्पर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए तथा लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु कहा जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने—जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाये। पेयजल, खाने—पीने की व्यवस्थाएँ उसी निश्चित स्थान लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट/गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।

2. अनलोडिंग पाईंट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था की जाए।

3. यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग भीड़—भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़—भाड़ न हो।

4. ड्राईवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग करने की सलाह दी जाये। सभी माल वाहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये।

5. स्थानीय परिवहन संघों को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन उपायों के जरूरी होने की जानकारी बैठक या अन्य उपयुक्त माध्यम से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दी जाए एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

जारी .. 2 ..

Scanned with CamScanner

उद्योगों में माल परिवहन तथा सीमित संख्या में व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दिए की व्यवस्था है। अतः सभी औद्योगिक परिसरों में भी सैनिटाईजेशन, फेसमास्क तथा सोशल डिस्टेंस बंधी निर्देशों का पालन करने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय औद्योगिक संस्थानों/संघों की बैठक लेकर या अन्य उपयुक्त माध्यम से इन जरुरी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्रमांक 208/स.परि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 28/04/2020

1. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. परिवहन आयुक्त,
6. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
7. संचालक, उद्योग
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

Scanned with CamScanner